

महिलाओं की न्यूनतम ववाह आयु 21 वर्ष करने हेतु वधियक

प्रलिस के लयि:

[राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शकत, ववाह योग्य न्यूनतम आयु, भारत के संवधान की 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 254, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, ओडशा का बाल ववाह मुक्त गाँव](#)

मेन्स के लयि:

महिलाओं के लयि ववाह योग्य आयु को बढ़ाना, बाल ववाह नषिध अधनियम, 2006

स्रोत: द हद्वि

चर्चा में क्योँ ?

हाल ही में हमिचल प्रदेश (HP) वधिनसभा ने [बाल ववाह परतषिध \(हमिचल प्रदेश संशोधन\) वधियक, 2024](#) पारति कयि, जसिका उद्देश्य [महिलाओं के लयि न्यूनतम ववाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष](#) करना है।

- इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं में उच्च शकषिा को। प्रोत्साहति करने के लयि [बाल ववाह परतषिध अधनियम, 2006 \(PCMA 2006\)](#) में संशोधन करना है
- लैंगिक समानता के लयि इसके नहितार्थ और [राष्ट्रपति की स्वीकृति](#) की संभावति आवश्यकता के कारण इसने महत्त्वपूर्ण चर्चा को जन्म दयिा है।

महिलाओं की न्यूनतम ववाह आयु पर HP के वधियक में क्या शामिल है?

- 'बच्चे' की पुनरपरभाषा: वर्ष 2006 के अधनियम की धारा 2(a) में 'बच्चे' को 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के रूप में परभाषति कयिा गया है।
 - वधियक में इस लगी-आधारति भेद को हटाया गया है और लगी की परवाह कयि बनि 21 वर्ष से कम आयु के कसिी भी व्यकत को 'बच्चे' के रूप में परभाषति कयिा गया है।
- याचकिा अवधि का वसितार: वधियक ववाह को रद्द करने (ववाह को अमान्य और कानूनी रूप से शून्य घोषति करने) के लयि याचकिा दायर करने की समय अवधि भी बढ़ाता है।
 - वर्ष 2006 के अधनियम की धारा 3 के तहत ववाह के समय नाबालगि रहा कोई भी व्यकत वयस्क होने के दो वर्ष के भीतर (महिलाओं के लयि 20 वर्ष और पुरुषों के लयि 23 वर्ष की आयु से पहले) ववाह नरिसूतीकरण के लयि आवेदन कर सकता है।
 - वधियक में इस अवधि को बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दयिा गया है, जसिसे महिलाओं और पुरुषों दोनों को 21 वर्ष की नई व न्यूनतम ववाह योग्य आयु के अनुसार 23 वर्ष की आयु से पहले याचकिा दायर करने की अनुमति है।
- अन्य कानूनों पर वरीयता: एक नया प्रावधान, धारा 18A, यह सुनिश्चति करता है क वधियक के प्रावधान मौजूदा कानूनों और सांस्कृतिकि प्रथाओं पर वरीयता प्राप्त करें, जसिसे हमिचल प्रदेश में एक समान न्यूनतम ववाह योग्य आयु स्थापति हो।

राष्ट्रपति की स्वीकृति क्योँ आवश्यक है?

- राज्यपाल के वकिलप: [संवधान के अनुच्छेद 200](#) के तहत जब कोई वधियक कसिी राज्य की वधिन सभा द्वारा पारति कर दयिा गया है या वधिन परषिद वाले राज्य के मामले में राज्य के वधिनमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारति कर दयिा गया है, तो इसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कयिा जाएगा। राज्यपाल वधियक पर सहमति दे भी सकता है और नहीं भी या वधियक को पुनर्वचिार के लयि वापस कर सकता है या वह वधियक को राष्ट्रपति के वचिार हेतु आरक्षति रख सकता है।
 - यदि राज्यपाल को लगता है क यह वधियक उच्च न्यायालय के अधिकार को कमज़ोर करता है या केंद्रीय कानूनों में हस्तक्षेप करता है, तो वह वधियक को राष्ट्रपति के वचिार हेतु आरक्षति रखता है।

- **केंद्रीय कानून के साथ असंगति:** हिमाचल प्रदेश वधियक महिलाओं के लिये एक अलग **ववाह योग्य न्यूनतम आयु का प्रस्ताव** करता है, जो संभवतः **केंद्रीय PCMA, 2006** के साथ असंगत है।
- **संवैधानिक विचार:** **भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची** के अनुसार ववाह और तलाक इस **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5** के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को बाल ववाह को वनियमिति करने की अनुमति देता है।
 - हालांकि यदि कोई राज्य कानून किसी केंद्रीय कानून के साथ असंगत है, तो इसे तब तक 'अमान्य' माना जा सकता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो जाए।
 - **संविधान का अनुच्छेद 254** वरिध के सिद्धांत को स्थापित करता है, जो केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच असंगतता से निपटता है।
 - संसद के पास संघ सूची के वषियों पर और राज्य वधियक के पास राज्य सूची के वषियों पर कानून बनाने की शक्तियाँ हैं तथा समवर्ती सूची के वषियों पर दोनों के पास कानून बनाने की शक्तियाँ हैं।
 - जब दो कानून परस्पर असंगत होते हैं, तो वरिध उत्पन्न होता है और यदि समवर्ती सूची के किसी वषिय पर राज्य का कानून केंद्रीय कानून के वरिध है, तो केंद्रीय कानून लागू होता है तथा राज्य का कानून असंगतता की सीमा तक अमान्य होता है।
 - यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के लिये आरक्षित है और उसे स्वीकृत मिल जाती है, तो वह राज्य के भीतर प्रभावी हो सकता है और उस राज्य में केंद्रीय कानून के प्रावधानों को दरकिनार कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिये ववाह की न्यूनतम आयु वधियक के बारे में क्या चर्चा है?

- **कानूनी अस्पष्टताएँ:** प्रस्तावित कानूनी ढाँचा असंगतियाँ उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि 18 वर्ष की आयु से सहमति से यौन संबंध बनाने की अनुमति देना लेकिन 21 वर्ष की आयु तक ववाह को प्रतिबंधित करना।
 - यह वसिंता नए मुद्दों को उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि प्रजनन अधिकारों और कानूनी स्थिति से संबंधित जटिलताएँ।
 - कशोर न्याय देखभाल और संरक्षण तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना केवल 18 वर्ष की आयु तक सहायता प्रदान करती है, जिससे 19-21 वर्ष की आयु के बाल वधु/वरों को सहायता देने के लिये कोई स्थान नहीं बचता।
 - आलोचकों ने चर्चा जताई है कि यह 21 वर्ष की आयु से पूर्व ववाह करने वाली महिलाओं के लिये कानूनी सुरक्षा को भी सीमित कर सकता है तथा संभावित रूप से प्रभावित समुदायों पर पुलिस की नगिरानी बढ़ाई जा सकती है।
- **कार्यकर्ताओं का वरिध:** बाल और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ववाह की आयु बढ़ाने से अनजाने में माता-पिता का नियंत्रण मजबूत हो सकता है और युवा वयस्कों की स्वायत्तता में बाधा आ सकती है।
 - उनके अनुसार वर्तमान कानून का कभी-कभी उन लड़कियों को दंडित करने के लिये दुरुपयोग किया जाता है जो अपने परिवार की इच्छा के वरिध जीवन साथी चुनती हैं।

ववाह के लिये न्यूनतम आयु क्यों निर्धारित की गई है?

- **बाल ववाह को रोकने:** ववाह की न्यूनतम आयु नाबालगों के साथ दुर्यवहार को रोकने और बाल ववाह को गैरकानूनी बनाने के लिये निर्धारित की गई है।
- **कानूनी मानक:**
 - **हिंदू ववाह अधिनियम, 1955:** लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित करता है।
 - **इसलामिक कानून:** प्यूबर्टी प्राप्त कर चुके नाबालग के ववाह को वैध मानता है।
 - **वशिष ववाह अधिनियम, 1954 और बाल ववाह नषिध अधिनियम (PCMA), 2006:** लड़की के लिये 18 वर्ष और लड़के के लिये 21 वर्ष की आयु निर्धारित करता है। PCMA 2006 भी इस आयु से कम में होने वाले ववाह को केवल तभी "अमान्य" (हालांकि कुछ कानूनी, लेकिन जसि बाद में अनुबंध के एक पक्ष द्वारा रद्द किया जान सकता है) मानता है जब उस पर ववाह हो।
- **वैकल्पिक सिफारिशें:** वर्ष 2008 की वधि आयोग की रिपोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्ष 2018 के प्रस्ताव ने लड़के एवं लड़की दोनों के लिये 18 वर्ष की एक समान ववाह आयु निर्धारित करने की सिफारिश की, जिसके बारे में कुछ लोगों का तर्क है कि यह अधिक न्यायसंगत समाधान हो सकता है।
 - महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति सहित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकाय लड़के एवं लड़की दोनों के लिये न्यूनतम ववाह आयु 18 वर्ष करने का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें ववाह की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों को संभालने से पहले पूर्ण परिपक्वता तथा कार्य करने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिये।

ववाह आयु कानून का विकास

बाल ववाह का अस्तित्व भारतीय समाज में उपनिवेशवाद से भी पहले से है। वर्ष 1929 के बाल ववाह नरिधक अधिनियम ने लड़कियों के लिये आयु सीमा 14 वर्ष और लड़कों के लिये 18 वर्ष निर्धारित की, लेकिन कम आयु सीमा के कारण यह अप्रभावी था।

- इस अधिनियम में वर्ष 1978 में संशोधन करके लड़कियों के लिये आयु सीमा 18 वर्ष और लड़कों के लिये 21 वर्ष कर दी गई, लेकिन फिर भी इससे बाल ववाह में कमी नहीं आई।
- वर्ष 2006 के PCMA का उद्देश्य समाज से बाल ववाह को पूरी तरह से खत्म करना है। यह अधिनियम बाल ववाह को अवैध बनाता है, पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसे ववाहों में सहायता करने, उन्हें बढ़ावा देने या उन्हें संपन्न कराने वालों के लिये दंड को कठोर करता है।
- बाल ववाह नषिध (संशोधन) वधियक, 2021 दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया और एक स्थायी समिति को भेजा गया।
 - हालांकि 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह वधियक अब समाप्त हो गया है। वधियक का उद्देश्य लड़कियों के लिये ववाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करना तथा किसी भी अन्य कानून, प्रथा को नरिस्त करना था।

सरकार ववाह की आयु पर पुनः वचिर क्यो कर रही है?

- **लगि तटस्थता:** ववाह की आयु की फरि से वचिर करने का एक मुख्य कारण लगि समानता सुनश्चिति करना है। लड़कियों के लयि ववाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के पीछे सरकार का उद्देश्य इसे पुरुषों के लयि मौजूदा आयु आवश्यकता के अनुरूप बनाना है, जसिसे समानता को बढ़ावा मलि।
- **स्वास्थ्य प्रभाव:** कम उमर में गर्भधारण जैसे मुद्दों का समाधान करना, जो पोषण स्तर, **मातृ एवं शशु मृत्यु दर (MMR एवं IMR)** और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावति करते हैं।
- **शैक्षिक और आर्थिक प्रभाव:** कम उमर में ववाह के कारण शक्ति और आजीविका की संभावनाओं में होने वाली गरिवट को कम करना।
 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ववाह की आयु बढ़ाने के नहितिरथों का आकलन करने के लयि **जून 2020 में जया जेटली समिति** की स्थापना की गई
 - समिति ने ववाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने की सफिरशि की ताका शक्ति, कौशल प्रशक्ति और यौन शक्ति तक पहुँच बढ़ाई जा सके।
- **सामाजिक और आर्थिक विकास:** यह पुनरपरीक्षण सामाजिक और आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखति है। कम उमर में ववाह को संबोधति करके सरकार का उद्देश्य **गरीबी और सामाजिक कलंक जैसे संबंधति मुद्दों** से नपिटना है, जो अक्सर परिवारों को कम उमर में ववाह करने के लयि मज़बूर करते हैं।

क्या ववाह की आयु बढ़ाने से व्यवस्थति असमानताएँ दूर होंगी?

- **सतही समानता:** ववाह की आयु 21 वर्ष करना पुरुषों की आयु के अनुरूप है, लेकिन केवल इससे लैंगिक समानता या सशक्तीकरण की गारंटी नहीं मलिती। एक अत्यधिक **पतिसततात्मक समाज** में केवल संख्यात्मक समानता महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली व्यवस्थति असमानताओं को संबोधति नहीं करती है।
 - वास्तविक सशक्तीकरण केवल ववाह हेतु समान आयु में नहिति नहीं है बल्कि इसके लयिसमान आर्थिक अवसर, शक्ति तक पहुँच और महिलाओं के प्रता सामाजिक दृष्टिकोण जैसे व्यापक मुद्दों को संबोधति करने की आवश्यकता है।
 - लैंगिक समानता में केवल आयु कानून ही शामिल नहीं है; इसमें वेतन अंतर, कार्यस्थल भेदभाव और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच जैसे मुद्दों को संबोधति करना भी शामिल है।
- **अनसुलझी समस्याएँ:** ववाह की आयु बढ़ाने से कम उमर में ववाह के पीछे के वास्तविक मुद्दों जैसे **दहेज** की मांग, सामाजिक कलंक और पारिवारिक नयंत्रण का समाधान नहीं होता है।
 - ये मुद्दे सामाजिक और आर्थिक कारणों से परेरति हैं, जिन्हें केवल कानूनी परिवर्तनों से हल नहीं कयि जा सकता।
- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** संशोधन के समर्थकों का सुझाव है कि ववाह की आयु बढ़ाने से मातृ एवं शशु स्वास्थ्य में सुधार होगा।
 - हालाँकि मौजूदा आँकड़ों से पता चलता है कि कुछ राज्यों में ववाह की औसत आयु पहले से ही अधिक है (केरल में महिलाओं की शादी औसतन 21.4 वर्ष में हो जाती है) और स्वास्थ्य परिणाम समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से अधिक नकिटता से जुड़े हुए हैं।
- **सांस्कृतिक प्रतरीध:** कई जनजातीय समुदायों में कानूनी बदलावों के बावजूद पारंपरिक मानदंड और प्रथाएँ कम उमर में ववाह को बढ़ावा दे सकती हैं। सांस्कृतिक प्रतरीध को संबोधति करना और मानसिकता को बदलना नीति की सफलता के लयि महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह

- **सामाजिक-व्यवहारगत परिवर्तन:** संशोधन की प्रभावशीलता व्यापक सामाजिक परिवर्तनों पर निर्भर करती है।
 - **ओडिशि के बाल ववाह मुक्त गाँवों** जैसे सफल उदाहरण समुदाय-संचालति पहलों और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- **बाल ववाह की अमान्यता:** वर्तमान कानून बाल ववाह को प्रारम्भ से ही अमान्य करने के बजाय अमान्यकरणीय बनाता है, जसिसे कानूनी सुधारों की प्रभावशीलता कम हो सकती है।
- **मूल कारणों का समाधान:** महिलाओं के लयि शैक्षिक पहुँच, व्यावसायिक प्रशक्ति और आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रति करना महत्त्वपूर्ण है।
 - नीतियों का लक्ष्य सुरक्षति, लचीली शक्ति और नौकरी के अवसर प्रदान करना होना चाहयि, जसिसे ववाह में देरी हो सके तथा समग्र कल्याण में सुधार हो सके।
- **व्यापक सुधार:** कानूनी बदलावों के बजाय सामाजिक परिवर्तन और मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है।
 - इसमें सामाजिक दबावों का समाधान करना, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सुनश्चिति करना, व्यापक यौन शक्ति लागू करना और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना शामिल है।
- **महामारी का आर्थिक प्रभाव:** कोविड महामारी के आर्थिक प्रभावों पर ध्यान दें, जसिके कारण नौकरियों में कमी आई है और आर्थिक रूप से तनावग्रस्त परिवारों में कम उमर में ववाह होने लगे हैं।
- **इतहास से सीख:** ववाह कानूनों को बदलने के ऐतहासिक प्रयासों ने मशिरति परिणाम दखिाए हैं। सफल लैंगिक समानता पहलों में अक्सर कानूनी परिवर्तन, सामाजिक सुधार और शैक्षिक प्रयासों का संयोजन शामिल होता है।
 - अन्य देशों के साथ तुलना करने और इन प्रथाओं की जाँच करने से महत्त्वपूर्ण जानकारी मलि सकती है।

?????? ???? ????:

प्रश्न: वविह की न्यूनतम आयु 18 से बढाकर 21 करने से लैंगकि समानता और सामाजकि मानदंडों पर संभावति प्रभाव का मूल्यांकन कीजयि । इस कानूनी बदलाव से क्या चुनौतयिँ उत्पन्न हो सकती हैं?

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????:

प्रश्न. भारतीय संवधान का कौन-सा अनुच्छेद किसी व्यक्त को अपनी पसंद के व्यक्त से वविह करने के अधिकार की रक्षा करता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

??????:

प्रासंगकि संवैधानकि प्रावधानों और नरिणय वधियिँ की मदद से लैंगकि न्याय के संवैधानकि परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजयि । (2023)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/himachal-pradesh-s-bill-to-raise-women-s-minimum-marriage-age-to-21>

